18वीं सदी के अन्त में पश्चिमी राजस्थान आर्थिक स्थिति : एक अध्ययन

*डॉ. श्वेता जैमन शर्मा

शोध सारांश

सामान्यतः यह विचारधारा व्यापक है कि 18 वीं सदी के उत्तरार्द्ध और 19 वीं सदी के प्रारम्भ में राजस्थान की आर्थिक दशा दयनीय थी। अंग्रेस लेखकों विशेषकर टॉड और उनके अनुयायी इतिहासकारों ने इसे बहुत बार दोहराया है। टॉड का लिखना तो समझा जा सकता है क्योंकि वह 1818 के बाद राजस्थान आर्थिक प्रगति को अंग्रेजी प्रश्रय का परिणाम बताने में रूचि रखता था। यदि वास्तव में अंग्रेजी नीतियाँ ऐसी होतीं तो इस व्याख्या में सम्भवतः आपत्ति न होती। वस्तुस्थिति यह थी कि अंग्रेजी नियन्त्रण के पक्ष में कहने को बहुत कम था, इसलिए 18वीं सदी के उत्तरार्द्ध को आर्थिक–अव्यवस्था तथा विनाश का समय बताकर 1818 के बाद के राजस्थान को अच्छा बताना सरल और विश्वसनीय हुआ। जिन राज्यों में मराठा आक्रमण होते रहते थे, उनमें इस आर्थिक कंगाली कुशासन–प्रबन्ध, जागीरदारों और अत्याचार और व्यापारिक प्रगति में कृत्रिम बन्धनों को उत्तरदायी ठहराया गया। आर्थिक दरिद्रता की यह तस्वीर इसलिए मान्य रहीं क्योंकि 1818 के बाद वास्तव में इस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति पतनोन्मुख रही। अंग्रेजी नीतियों की ओर अधिक ध्यान न जाए इसलिए अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापना की स्थिति को अत्यन्त खराब बताना नीतिसंगत था।

वास्तविकता यह है कि राजनीतिक उथल–पुथल और अराजकता के बावजूद 18वीं सदी का उत्तरार्द्ध के अधिकांश राज्यों के लिए आर्थिक सम्पन्नता का युग था। पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के मरूभूमि वाले राज्यों के व्यापारिक मार्गो के व्यस्त रहने जगात से पर्याप्त आय होती थी और ये राज्य अपनी भौगोलिक स्थिति का पूरा लाभ उठाते थे। पूर्वी और दक्षिण–पूर्वी राज्य कृषि–प्रधान थे और व्यापारिक दृष्टि से भी उन्नत थे।

समस्त राजस्थान से तीन बड़े व्यापार तथा आवागमन मार्ग गुजरते थे। पहला मुख्य मार्ग, जिसमें अनेक छोटे–छोटे मार्ग आकर मिलते थे, पश्चिमी समुद्र तट को उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भारत से जोड़ता था। यह मध्य एशिया क्षेत्रों से व्यापार का प्रमुख मार्ग था। मध्य एशिया से विभिन्न मार्ग पंजाब में मुल्तान पर आकर मिलते और वहाँ से विभिन्न दशाओं में जाते थे। मुल्तान से अहमदाबाद का मार्ग राजस्थान से होकर गुजरता था। भावलपुर पहुँचकर यह दो भागों में बँट जाता था। एक पोकरण, जैसलमेर, बाड़मेर, उमरकोट, हैदराबाद (सिन्ध) होते हुए तथा दूसरा बीकानेर, नागौर, पाली, जालौर, पालनपुर होते हुए पश्चिमी समुद्र तट तक पहुँचता था। दूसरा मुख्य मार्ग पूर्व से पश्चिम की ओर जाता था। यह आगरा से अलवर, आमेर (जयपुर), अजमेर, मेड़ता, जोधपुर, फलौदी, जैसलमेर होता हुआ हैदराबाद (सिन्ध) पहुँचता था। इसी में एक उपमार्ग भटनगर, सूरतगढ़, अनूपगढ़ और जैसलमेर होता हुआ इस मुख्य मार्ग से जुड़ जाता था। तीसरा मुख्य मार्ग उत्तर से दक्षिण को जाता था और उत्तरी भारत को मध्य भारत से जोड़ने का एक मार्ग था। यह मार्ग बीकानेर में सूरतगढ़, हनुमानगढ़, नोहर, राजगढ़ से होता हुआ रिवाड़ी, जयपुर, अजमेर से गुजरता था। अजमेर के बाद यह कई भागों में हो जाता था–भीलवाड़ा, चित्तौड़, रतलाम अथवा सवाई माधोपुर, बूँदी, कोटा, झालावाड़, उज्जैन होता हुआ मध्य भारत पहुँचता था। इस प्रकार प्रायः प्रत्येक राज्य में कुछ महत्वपूर्ण व्यापार केन्द्र थे–पानी, मेड़ता, नागौर, भीनमाल और जालौर (जोधपुर में), उदयपुर में भीलवाड़ा, जहाजपुर, कपासन, सादड़ी; बीकानेर में राजगढ़, चुरू, रेणी, नोहर, रतनगढ़; कोटा में रामगंज और मंगरोल; जयपुर में मालपुरा, झुँझुनूँ, सीकर; और जैसलमेर में राजधानी।

राजस्थान का मुख्य व्यापार पारगमन व्यापार था यद्यपि नमक, अफीम, रूई, इसी क्रम में निर्यात की मुख्य वस्तुएँ भी

थीं। व्यापारिक मार्ग सुरक्षित और भलीभाँति व्यवस्थित थे। जागीरदार और ठिकानेदार अपनी जागीरों से गुजरने वाले मार्गो की सुरक्षा–व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होते थे और व्यापारी स्वयं भी मार्गो में सामान की सुरक्षा तथा बीमा–व्यवस्था करते तथा करवाते थे। परम्परागत मूल्यों के अनुसार चारणों को व्यापारिक सार्थका के संरक्षक के रूप में नियुक्त करना प्रचलित था। मई 1818 में मेवाड़ कौलनामे में जागीरदारों ने बड़ी सरलता से अपने क्षेत्रों में व्यापारिक काफिलों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व वहन कर लिया क्योंकि वे पहले से ऐसा करते आए थे। यह कोई नया उत्तरदायित्व नहीं था। राजनीतिक संघर्ष में उलझे रहने के बावजूद भी उन्हें यह उत्तरदायित्व निभाना पड़ता था क्योंकि अन्यथा उन्हें आर्थिक हानि उठानी पड़ती थी। व्यापार के कम हो जाने से अथवा बड़े व्यापारियों के उनके क्षेत्र में चले जाने पर उन्हें भारी क्षति होती थी। अन्य जागीरदार ऐसे अवसरों की तलाश में रहते थे कि सम्पन्न तथा सफल व्यापारी उनकी जागीर में आएँ और व्यापारिक प्रतिष्ठा की स्थापना करें। व्यापारियों के पास सत्ता न होते हुए निष्क्रमण का ऐसा शस्त्र था जिससे जागीरदार उनके प्रति अपने उत्तरदायित्व से विमुख नहीं हो सकता था। चुरू के मिर्जामल पोतेदार की अमृतसर, दिल्ली, कलकत्ते में कोठियाँ थी। उसकी अन्य ठिकानेदार खुशामद करते रहते थे कि वह अपनी कोठी उनके यहाँ स्थापित करें। एक समृद्ध व्यापारिक प्रतिष्ठाान से आर्थिक लाभ बहुत थे।

राजस्थान की आर्थिक–व्यवस्था के सिद्धान्त का मुख्य जनक टॉड रहा है और उसने भी अपने वृहत् ग्रन्थ में यदाकदा इस बात का वर्णन किया है कि विभिन्न राज्यों में सम्पन्न व्यापार था। कश्मीर और यूरोप की वस्तुएँ मेवाड़ में सरलता से उपलब्ध थीं। यद्यपि व्यापार का कई स्थानों पर कर लगते थे लेकिन व्यापार सुरक्षित था। बीकानेर का राजगढ़ भारत तथा बाहर के देशों की वस्तुओं के लिए एक मुख्य व्यापारिक केन्द्र था। इस पारगमन व्यापार पर लगने वाले करों और स्थानीय खपत वाले सामान पर करों से राज्य को पर्याप्त आय होती थी। बीकानेर राज्य को इन करों से प्रतिवर्ष दो लाख रूपयें की आय होती थी। यह आय 1818 के पश्चात् निरन्तर कम होती गई। जैसलमेर में पारगमन व्यापार पर शुल्क से 3 लाख रूपये वार्षिक की आय होती थी। उस राज्य के लिए यह आय का सबसे निश्चित तथा उपयोगी साधन था। व्यापारिक चुँगी से निश्चित रूप से सामान्यतः कितनी आय होती थी, इस विषय में कोई ठोस अनुसंधान नहीं हुआ है, लेकिन हाल ही में प्रकाशित कुछ असम्बद्ध आंकड़े इस तर्क के समर्थन में पर्याप्त हैं कि व्यापारिक करों और सीमा–शुल्कों से पर्याप्त आय होती थी। इनसे व्यापारिक गति का तथा राज्य को होने वाले लाभ का भी अनुमान हो जाता है।

सम्पन्न पारगमन व्यापार से प्रत्येक राज्य में प्रतिष्ठित व्यापारिक कोठियाँ स्थापित हुई। समसामयिक साक्ष्यों के कुछ नाम बहुत बार आये है, उनमें से कुछ को यहाँ लिख रहे हैं ताकि यह सहज ही अनुमान लगाया जा सके कि व्यापार की स्थिति कैसी थी। चतुरभुज जिन्दा राम पोतेदार (चुरू), सेठ अमरसी सुजानमल ढढ्डा (बीकानेर), जोरावरमल बाफना (उदयपुर), बहादुर मल बाफना (कोटा), जीवनदा मुनौत (जोधपुर)। से व्यापारिक प्रतिष्ठान व्यापार के अतिरिक्त बैंकि कार्य तथा राजकोष का कार्य भी करते थे। राज्यों के शासक तथा जागीरदार और अपनी आवश्यकाताओं को पूरा करने के लिए बहुत बार इनसे रूपया उधार लेते और ब्याज भी देते थे। यदि धन न चुकाया जा सके तो कुछ परगनों का इजारा भी दे दिया करते थे। इसका अर्थ था कि उन्हें उन क्षेत्रों से कर तथा राजस्व वसूल करने का अधिकार होता था। एक विशेष बात यह थी कि जागीरदारों से ब्याजदर दर कम होती थी और राजा से अपेक्षाकृत अधिक। धन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना 'हुण्डियों' के माध्यम से होता था। हुण्डियाँ कई प्रकार की होती थीं। जिनसे सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली थी–दर्शनी हुण्डी जिसे देखते ही रूपया चुकाना पड़ता था तथा मुद्दती हुण्डी जिसमें लिखा सयम व्यतीत होने के बाद भी उस राशि का भुगतान होता था।

मिर्जामल पोतेदार की दिल्ली शाखा ही एक वर्ष में 5000 हुण्डियों का लेन–देन करती थी। ये व्यापारिक प्रतिष्ठान सर्राफ का कार्य भी करते थे, विभिन्न राजाओं तथा राज्यों की मुद्राओं का आदान–प्रदान इनके माध्यम से होता था। इस कार्य के बदले में 'बट्टा' वसूल करते थे। प्रत्येक राज्य में हर प्रभावशाली शासन अपने नाम के सिक्के अवश्य चलवाता था। 18 राज्यों की कुल मिलाकर कितनी प्रकार की मुद्राएँ और उनके विनिमय में कितनी असुविधा होती होगी ये व्यापारिक प्रतिष्ठान इस बाधा को दूर करने में संलग्न न होते। ये व्यापारिक प्रतिष्ठान न केवल राज्य की धातु–मुद्रा की आवश्यकता पूरी करते थे अपितु व्यापारिक गतिविधियों को सुगम और सरल बनाते थे।

आर्थिक पतन का आरम्भ

1818 की सन्धियों ने कुछ ऐसे तत्त्वों को प्रोत्साहन दिया जिन्होनें इस क्षेत्र की समस्त आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियों को बदल डाला। प्रशासकीय और राजनीतिक परिवर्तन तो तुरन्त ही दिखाई दे जाते हैं लेकिन आर्थिक नीतियों में बदलाव का प्रभाव कुछ समय बाद ही दिखाई देता है। राजस्थान के आर्थिक जीवन में बहुत से परिवर्तन उन निर्णयों से हुए जो अंग्रेजों ने अपने आर्थिक और औपनिवेशिक हितों को पूरा करने के लिए किए। अंग्रेज सरकार चाहती थी कि वह पारगमन व्यापार जो राजस्थान के व्यापार मार्गो से होता था तब अंग्रेजी क्षेत्र के मार्गो से हो। इससे दो लाभ होंगे। पहला तो यह कि अंग्रेजी सामान की खपत और बिक्री बढ़ जायेगी। दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण लाभ यह होगा कि अंग्रेजी सरकार की करों से आय बढ़ जायेगी। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने भारतीय राज्यों से अंग्रेजी क्षेत्र में सामान के आने और जाने पर भारी कर लगा दिए।

इस प्रकार कहा जाता है कि 1818 की संधियों के कारण न राज्यों तो राज्यों की आन्तरिक व्यवस्था में था और न बाह्य आक्रमणों में क्योंकि बाह्य आक्रमण तो आमंत्रित किये जाते थे।

****शोधार्थी**
इतिहास एवं भारतीय संस्कृति विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

सन्दर्भ

(अप्रकाशित विवरण)

1. राष्ट्रीय अभिलेखागार, दिल्ली

(क) विदेश विभाग, राजनीति विचार (अ) सलटेशन (1801–1900 ई.) विशेषतः राजपूत राज्यों के साथ संधियाँ, शासकों, सामन्तों और ब्रिटिश समर्थक दलों, सैनिक बटालियनों की स्थापना, खिराज, जागीरदारों की सैनिक सेवा, उत्तराधिकारी और अभिभावक परिषद्, कुशासन, सती और कन्या वध, कृषि, भूमिकर और भूमि बन्दोबस्त, अकाल, शिक्षा, उद्योग–धन्धे तथा व्यापार एवं वाणिज्य, राहदारी और चुंगी शुल्क और परिवहन संबंधी।

2. राजस्थान राज्य अभिलेखागार (बीकानेर)

(क) जोधपुर रिकार्डस :

1. हकीकत बहियाँ (वि.सं. 1821–1957)
2. हकीकत खाता रजिस्टर (वि.सं. 1896–1957)
3. हकीकत खाता बहियें (वि.सं. 1863–1930)
4. खास रूक्का परवाना बहियाँ (वि.सं. 1850–1957)
5. हथ बहियाँ (वि.सं. 1824–1957)
6. अर्जी बहियाँ (वि.सं. 1824–1957)
7. खरीता बहियाँ (वि.सं. 1790–1957)
8. सनद बहियाँ (वि.सं. 1850–1957)
9. ओहदा बहियाँ (वि.सं. 1850–1957)

10. ब्याव री बहियाँ नं. 1, 2, 3 और 5
11. हवाला बहियाँ (वि.सं. 1976–1957)
12. पट्टा बहियाँ (वि.सं. 1882–1913)
13. फुटकर बही, राजीनामा, वि.सं. 1865–1911
14. फुटकर बही, कबूलियन, (वि.सं. 1904–1906)
15. दफ्तर हजूर बही नं. 23 और 24 (वि.सं. 1900–1925)
16. दीवानी चिट्ठियाँ री बही (वि.सं. 1913–28)
17. दस्तरी रिकार्डस बहियाँ नं. 10 और 13
18. जमा–खर्च बहि नं. (वि.सं. 1906)
19. ढ़ोलियाँ से कोठार, फाइलें (वि.सं. 1850–1920)
20. दस्तरी रिकार्ड्स, फाइलें (वि.सं. 1850–1948)
21. पोर्टफोलियो फाइलें, (वि.सं. 1857–1906)
22. रेजीडेंसी फाइलें (वि.सं. 1840–1900)
23. अन्य रिकार्ड–(वि.सं. 1900–1925)

विशेषतः बस्ता नं. 43 (वि.सं. 1900–1925)

(वि.सं. 1857–1922)

बस्ता नं. 34 (वि.सं. 1930–1940) नं. 97 (वि.सं. 1921)

बिलाड़ा फाइल नं. 5 ब (वि.सं. 1859–1900)

(ख) जयपुर रिकार्ड्स

1. दस्तूर कौमवार, खण्ड 1 से 32
2. परगना तोजी रिकार्ड्स (वि.सं. 1858–1895)
3. नक्शा जमा परगनात, परगना जयपुर (वि.सं. 1930–38)
4. कपाट द्वारा रिकार्ड्स लिस्ट नं. 1 से 3
5. कारखाना जात फाइलें (वि.सं. 1860 से 1900 ई.)
   विशेषतः बस्ता नं. 40, छापाखाना (सन् 1873–80)
   बस्ता नं. 37 और 39, संगीत पेशा (1869–1900)

(ग) बीकानेर रिकार्ड्स

1. माल री बहियाँ (वि.सं. 1857 से 1900)
2. हासिल बहियाँ (वि.सं. 1860 से 1920)

3. खालसा के गाँवों की बहियाँ (वि.सं. 1857 से 1900)
4. जमा खर्च बहियाँ (वि.सं. 1832–1948)
5. पुण्यार्थ बहियाँ (वि.सं. 1860–1950)
6. बही, कमठाना (वि.सं. 1857–1957)
7. बही, मोदीखाना (वि.सं. 1901–1952)
8. जगात री बहियाँ (वि.सं. 1857–1937)
9. बही, कागदां री (वि.सं. 1860–1900)
10. बही, अदालतां रा कागजात (वि.सं. 1916)
11. बही, महाजनां री पीढ़ियाँ री (वि.सं. 1857–1930)
12. रेजीडेंसी फाइलें (सन् 1880–1905)

3. राजस्थान शोध संस्थान, जोधपुर (राज.)

1. मारवाड़ की ख्यात, खण्ड 1 से 4
2. राठौड़ा री ख्यात (महाराजा मानसिंह, आदि)
3. राठौड़ा री ख्यात (महाराज मानसिंह, तख्तसिंह आदि)
4. महाराज जसवन्त सिंह जी री ख्यात

4. अन्य

1. मारवाड़ प्रेसी (कलकत्ता 1875) इसमें 1818 से 1874 तक।

   मारवाड राज्य से सम्बन्धित ब्रिटिश रिकार्ड का संलकन है।
2. सलेक्शंस फ्रोम पेशवा दफ्तर, खण्ड 2, 14, 21, 27, 29, 38 और 41
3. पूना रेजीडेंसी कॉरस्पोंडेस, खण्ड 9, 1 और 14
4. एचीसन् – ए कलेक्शंस ऑफ ट्रिटीज, एगेंजमेंट्स एण्ड सन्दस रिलेटिंग इंडिया एण्ड नेबरिंग कन्ट्रीज, खण्ड 3 (1909 ई.)
5. मार्टिन डिसपेचेज, मिनट्स एण्ड कॉरेस्पोंडेस ऑफ दी मार्क्विस ऑफ वेलेजसी, केसी, ड्यूरिंग हिज एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, खण्ड 1 से 5 (1836–37)
6. बिशप हेबर–नेरेशन ऑफ द जरनी थ्रू दि अपर प्रोविन्सेज ऑफ इंडिया।
7. चार्ल्स रोस कॉरस्पोंडेंस ऑफ चार्ल्स, फर्स्ट मार्क्विस कार्नवालिस, खण्ड 1–3 (1859)

5. ख्याते एवं अन्य ग्रन्थ

1. बॉकीदास की ख्यात (जोधपुर, 1956 ई.)
2. दयालदास की ख्यात (बीकानेर)
3. सूर्यमल मिश्रण–वंश भास्कर (जोधपुर, 1899)
4. श्यामलाल–वीर विनोद (उदयपुर, 1886)

5. मुंशी हरदयालसिंह–तवारीख जागीरदारान, राज. मारवाड़, (जोधपुर 1893)
6. मुंशी देवीप्रसाद–स्वप्न राजस्थान (मुरादाबाद, 1892 ई.)
7. मुन्शी सोहनलाल–तवारीख राजश्री बीकानेर
8. लखमीचन्द–तवारीख जैसलमेर।
9. जोधपुर राज्य की ख्यात (सित्माऊ प्रति)

6. एडमिनीस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स एण्ड गजेटियर्स

1. एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स ऑफ राजपूताना स्टेट्स (1867–68) से (1899–1900 ई.)
2. एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स, बीकानेर स्टेट (1864–1900) अलवर (1885–1900), करौली (1894–1900), कोटा (1896–1900), जोधपुर (1853–1910) इत्यादि।
3. मुन्शी हरदयालसिंह – रिपोर्ट मजमुई हालात व इंतिजमा राज मारवाड़ बाबत् सन 1883–84 मुताबिक (सं. 1894–1900)
4. इम्पीरियल गजेटियर्स, प्रोविशियल सिरीज, राजपूताना (यू.पी. 1906 ई.)
5. एर्सकाईन (1) राजपूताना गजेटियर, खण्ड 2 अ– मेवाड़ रेजीडेंसी–(टेक्स्ट) अजमेर (1904 ई.) (2) राजपूताना गजेटियर, खण्ड 3 अ– दी वेर्स्टन राजपूताना स्टेट्स रेजीडेंसी एण्ड दी बीकानेर एजेंसी (टेक्स्ट)

7. अप्रकाशित शोध कार्य :–

1. माहेश्वरी, एम.सी. : ब्रिटिश रिलेक्शन विथ दी स्टेट्स ऑफ राजपुताना (1815–85)
2. मिश्रा, मल्लिका : इकोनामिक इम्पेक्ट ऑफ ब्रिटिश सजरेनिटी ओवर राजस्थान
3. तिवारी, एस.एन. : रोल ऑफ बिजनेस कम्यूनिटी इन राजपूताना (राज. वि.वि., जयपुर)
4. जोशी, जे.एम. : इकोनोमिक कन्डीशन्स इन राजस्थान